भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3201

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

3201. श्री ए. राजा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मानसिक रुग्णता से प्रभावित लोगों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त अवसंरचना और विशेषज्ञ चिकित्सकों के कारण मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं और पेशेवरों की पहुंच बाधित होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या दो वर्ष पूर्व शुरू किए गए राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रभावकारिता के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे और अधिक प्रभावी और लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): देश के 12 राज्यों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बेंगलुरु के माध्यम से सरकार द्वारा कराए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में सामान्य मानसिक विकार, गंभीर मानसिक विकार, तथा शराब और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार (तंबाकू सेवन संबंधी विकार को छोड़कर) सहित मानसिक विकारों की व्यापकता लगभग 10.6% है।

देश में वहनीय और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

(डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक अंतःक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली इन-पेशेंट सुविधा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में पीजी विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 पीजी विभागों को मजबूत करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है। 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक पदार्थ उपयोग विकारों (एमएनएस) पर परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार 2018 से तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में स्थापित डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि कर रही है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) शुरू किया है। दिनांक 23.07.2024 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 11,76,000 से अधिक फोन कॉल का समाधान किया गया है।

*****